हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

11.03.22 पत्रावली लोक अदालत में प्रार्थी पक्ष के उपस्थित नही होने से आज पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थी के विरुद्व पूर्व मे एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। बहस एकपक्षीय सूनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 23.03.2022 को पेश हो।

23.03.22 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली मे बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौरान बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि ग्राम गोडावास स्थित वादग्रस्त आराजी खाता सं0 236 की खातेदारी में प्रार्थी का नाम सुनील कुमार दर्ज रिकार्ड है जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम सुशील कुमार शर्मा है एवं इसी नाम से प्रार्थी ने जरिये विक्रय पत्र भूमि कय की है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार का नाम सुनील कुमार गलत दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, विक्रय पत्र की प्रतियां पेश की जिनमे प्रार्थी का सही नाम सुशील कुमार शर्मा है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी खातेदार का नाम सुनील कुमार गलत दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी का कथन कि खातेदार प्रार्थी का सही नाम सुशील कुमार शर्मा है की पुष्टि आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, विक्रय पत्र की प्रतियों से इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है:–

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
गोडावास	खाता सं0 236	सुनील कुमार	सुशील कुमार शर्मा

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली वाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
(बृजेश कुमार)

Scanned with OKEN Scanner